जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

निविदा विवरणी

शेखपुरा जिला के सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, रेफरल अस्पताल एवं 24X7 संचालित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए आउटसोसिंग व्यवस्था के तहत् आंतरिक साफ–सफाई, बाहरी साफ–सफाई एवं रख–रखाव, कपड़ा धुलाई, खान–पान एवं विधुत आपूर्ति के लिए ध्वनीरहित जेनरेटर सेवा प्रदान करने हेतु कम्पनी/फर्म/गैरसरकारी संस्था को चयन करने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, जिला शेखपुरा, पिन कोड – 811105 (बिहार) के पते पर समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकार किया जाएगा

कार्य विवरणी :

(क) आंतरिक साफ–सफाई:

1. स्वास्थ्य केन्द्रों की सभी कमरे/वार्ड/बरामदा/शौचालय/दीवार के किनारे लगे टाईल्स, इत्यादी शामिल है।
2. ओ० टी०/पैथोलॉजी/एक्स–रे रूम का सफाई भी शमिल है। इसके अलावा संबंधित इकाई के प्रबंधकों द्वारा निदेशित सफाई कार्य भी करना होगा।
3. साफ–सफाई में लगने वाली सभी सामग्री यथा आधुनिक उपकरण, झाड़ू, फेनाईल, कीट नाशक आदि संस्था को स्वयं उपलब्ध करानी होगी।
4. सफाई का काम अनवरत 24 घंटा चलता रहेगा एवं मीशन के द्वारा साफ–सफाई करने वाले एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. दर मासिक रूप से देंगें।

(ख) कपड़ा धुलाई :

1. प्रत्येक बेडशीट/तकिया कभर/चादर आदि प्रतिदिन धोना एवं आयरण करना होगा।
2. सभी कपड़ों (जैसेः गाउन/एबडोमिनल सीट/चादर/मच्छरदानी/कम्बल/परदा/ऑपरेशन तौलिया बड़ा/तौलिया छोटा/टेबुल क्लोथ बड़ा/टेबुल क्लोथ छोटा/ तकिया कभर, बड़े एवं छोटे कपड़े आदि) होगा।
3. उपरोक्त सामानों का धुलाई का एक मुश्त मासिक दर देना होगा। वाशिंग मशिन रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. सभी कपड़ा धुलाई हेतु दर मासिक रूप से देंगें।

(ग) खान–पान :

1. सुबह के नाश्ते में छः पावरोटी, एक अंडा, 200 मि०ली० दूध एक पीस मौसमी फल।
2. दोपहर में चावल, दाल, सब्जी एवं दही।
3. शाम में दो पीस बिस्कुट एवं एक कप चाय।
4. रात के खाने में रोटी, दाल, सब्जी।
5. उपरोक्त सभी तरह के खान–पान के लिये दर प्रति मरीज प्रतिदिन की दर से निविदा आमंत्रित है, जिसका अधिकतम दर 50 (पचास) रूपये या बिहार सरकार के द्वारा देय दर निर्धारित है।

(घ) जेनरेटर सेवा :

1. विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में अलग–अलग 10 KVA, 15, KVA, 25 KVA, 50 KVA (आउट पुट) Silent DG Set जेनरेटर स्थापित करना है। जेनरेटर हेतु तेल/मोबिल/ऑपरेटर एवं रख–रखाव संस्था के जिम्मे होगा।
2. बिजली बाधित रहने की स्थिति में 24 घंटे जेनरेटर सुविधा उपलब्ध करना होगा।
3. जेनरेटर का दर प्रति घंटे में 10 KVA, 15, KVA, 25 KVA, 50 KVA का अलग–अलग देना होगा।
4. आपातकालीन स्थिति के लिए संस्था को तैयार रहना होगा। किसी भी परिस्थिति में बिजली आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

(ड़) **बाहरी साफ–सफाई एवं रख–रखाव :**

1. स्वास्थ्य संस्थानों के परिसर एवं नालों की पूरी सफाई करना एवं गंदा सामानों को निर्धारित सथानों पर फेंकना एवं फूल–पौधों का रख–रखाव करना है।
2. दर मासिक रूप से देंगे।
3. परिसर का रख–रखाव कुशल श्रमिक द्वारा की जानी होंगी एवं श्रमिक की संख्या अंकित करना होगा।

(च) अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र के लिए चतुर्थवर्गीय कर्मी : 24x7 अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र में चतुर्थवर्गीय कार्य हेतु 2–2 चतुर्थवर्गीय कर्मी आपूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा देय Minimum wages पर रखा जाएगा। वित्तीय निविदा में प्रति कर्मी कितना राशि प्रतिमाह लेंगें अंकित करना होगा।

तकनिकी निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक कागजात एवं आहार्त्ताएं:

1. निविदादाता को 50,000/– (पचास हजार रू०) का बैंक ड्राफ्ट देना होगा जो जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा के नाम से देय होगा (चयनित संस्था हेतु Non Refundable)।
2. निविदादाता को निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता का सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में कम से कम 3 वर्ष (पंजीकरण के बाद) का संबधित कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
4. आयकर का पैन न० एवं सेवा कर निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। साथ हीं विगत तीन वित्तीय वर्ष का रिटर्न (Income Tax and Service Tax) की छायाप्रति देना अनिदार्य है।
5. अद्यतन श्रमिक अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
6. संस्था के पास कम से कम 20 कर्मी का ESI & EPF में निबंधन होना अनिवार्य है। जिसका सत्यापन विगत 1 वर्ष का कम से कम 20 कर्मी का ESI & EPF मद में जमा किया चालान की प्रति मान्य होगा।
7. निविदादाता के नाम अद्यतन खाद्य अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
8. विगत 3 वर्षो का औसत वार्षिक टर्न–ओवर न्यूनतम 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष (पिछले तीन वर्षो का ऑडिट रिर्पोट) संलग्न होना चाहिए।
9. सरकारी विभाग/किसी सरकारी प्रोंजेक्ट/किसी जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं है से संबंधित शपथ पत्र का मूल प्रति।
10. निविदादाता द्वारा अपने श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक Minimum Wage Act. के अनुसार देय होगा।
11. तकनीकि तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में देना हैं तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकि तथा वित्तीय निविदा उल्लेखित करना अनिवार्य है। तकनीकि तथा वित्तीय निविदा को एक मुहर बंद लिफाफे में बंद कर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजना है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

वित्तीय निविदा

1. निविदादाता को समस्त इकाईयों हेतु अलग–अलग सेवाओं के लिए दर देना होगा।
2. निविदादाता को सदर अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल के लिए जेनरेटर परिचालन हेतु 2, कपड़ा धुलाई हेतु 2, आंतरिक साफ–सफाई हेतु 10, बाहरी साफ–सफाई हेतु 2 एवं खान–पान हेतु 2 कर्मी देना होगा। प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एवं अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र के लिए जेनरेटर परिचालन हेतु 2, कपड़ा धुलाई हेतु 1, आंतरिक साफ–सफाई हेतु 4, बाहरी साफ–सफाई हेतु 1 एवं खान–पान हेतु 1 कर्मी देना होगा। जेनरेटर परिचालन हेतु दर प्रति घंटा खपत होने वाले तेल लागत राशि के अनुपात में कम दर देने वाले निविदादाता पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदादाता को वित्तीय निविदा हेतु अपना प्रस्तावित दर निम्न प्रारूप में समर्पित करना होगा।

1. आंतरिक साफ–सफाई

कार्य का नाम	इकाई का नाम (सदर अस्प0, रेफरल अस्प0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र या अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र)	दर (रू० में) प्रतिमाह
साफ–सफाई		

2. खान–पान

कार्य का नाम	नास्ता एवं खाना में दिये जाने वाले सामाग्री
अन्तःवासी रोगियों हेतु खान–पान (दर 100/– रुपए प्रति मरीज प्रति दिन)	

3. ध्वनी रहित जेनरेटर

क0 सं0	क्षमता	दर (रु0 में) प्रति घंटा

4. कपड़ा धुलाई

कार्य का नाम	इकाई का नाम	दर (रु0 में) प्रति माह
कपड़ा धुलाई		

5. बाहरी साफ–सफाई एवं रख–रखाव

कार्य का नाम	इकाई का नाम	दर (रु0 में) प्रति माह

6. चतुर्थ वर्गीय कर्मी

कार्य का नाम	दर (रु0 में) प्रति माह
एक चतुर्थ वर्गीय हेतु दर	

अन्य शर्तें :

1. सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए।
2. उपरोक्त सभी कार्यों के लिए सामाग्रियों एवं व्यक्तियों की आपूर्ति संस्था को स्वंय खर्च पर करनी होगी। कर्मीयों को निर्धारित पोशाक तथा परिचय पत्र देना होगा।
3. दर सभी कर सहींत देना होगा एवं भूगतान के समय नियमानुसार आयकर, सेवा कर एवं बिक्री कर की कटौती की जाएगी।
4. जेनरेटर द्वारा विधूत आपूर्ति का भुगतान बिजली विभाग से आपूर्ति किये बिजली का प्रतिवेदन के आधार पर उक्त अवधि का कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
5. तकनीकि रूप से स्वीकृत निविदादाताओं का हीं वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
6. उक्त सभी सेवाओं के लिए एकरारनामा एक वर्ष के लिए की जाएगी एवं संतोषप्रद कार्य रहने पर जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा द्वारा अवधि विस्तार संबंधि निर्णय लिया जा सकता है एवं असंतोषप्रद कार्य की स्थिति में बिना किसी सूचना का अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
7. निविदा को रद्द/स्वीकृत/संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. उक्त सभी सेवा एक संस्था में देने हेतु एक हीं संस्था को चयन किया जाएगा। दर संबंधि निविदा खोलने के बाद Negotiate किया जा सकता है।

28.1.17

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा